

RCMS2016/00175

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ

प्रकरण संख्या : 55/2016

बमुक0 रामनिवास बनाम निरंजित बगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आर टी एक्ट

09.12.2016 प्रार्थना पत्र बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ। वकील सायला उपस्थित। वकील सायला को सुना। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.03.2017 को पेश हो।



1-3-17 वकील सायला उपर पत्रावली पूर्ववत रहे नउ 20-4-17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ (धीलपुर)

20/4/17 वकील सायला उपर पत्रावली पूर्ववत रहे नउ 18/5/17 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
सैपऊ (धीलपुर)

17-5-17 आज गद पत्रावली लोक डाकालत / अदालत केप डाकाल खेवा केन्द्र जगम पन्नाधर कसीसपुर पर पेश हुई। मूल दावा डाकाल

निशेवमान
नि. 3/10/2017
अरेश

हाजिरी व वास्तु में रवाराज किया जा
-बुधा है। सब प्राण पर 212 RT मिल हो लोकेल
रूपने का सेह-होनेपिल्य-बाही है। और प्राण-पत्र
प्राण-बोला हाजिरी व वास्तु में रवाराज
गईया जाता है। पत्रावली केवल हुआ 2 हाकट
दाखिल करावक हो।

मुलपदे

एजेन

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी संपु
(पीएलसी अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत

प्रानसिंह

एजेन